Central Dental Service

1847. { **Dr. P. Srinivasan:**
Shri Paramasivan:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether there is a Central Dental Service;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The number of posts of Dentists under the Central Government and in the Union territories is at present considered too small to be constituted into a Central Dental Service.

स्टर्लिंग मुद्रा की चोर बाजारी

1848. **श्रीमती जोहराबेन चावड़ा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि पौंड स्टर्लिंग मुद्रा भारत में, खास कर राजधानी में चोर बाजार में बिक रही है ;

(ख) यदि हां, तो चोर बाजार में पौंड (स्टर्लिंग) की औसत विनिमय दर क्या है ; और

(ग) विदेशी मुद्रा का ऐसा अवैध समाप्त करने के लिए सर र ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्ण ाारी): (क) सरकार के नोटिस में इस ग्रा की रिपोर्ट ाई है कि भारत में दिल्ली ि र ों र पौंड स्टर्लिंग सहित विदेशी मुद्रायें अप्राधिकृत रू में बिक रही

(ख) विश्वास योग्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) विदेशी विनिमय विनियमों के र्तन निदेशालय ने, समय समय पर, जैसा उनके नोटिस में आया है, विदेशी विनियम अप्राधिकृत डीलरों को ा है और उनके विरुद्ध उ ा कार्यवाही की है । ऐसे व्यक्तियों से अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से निपटने के लिए कुछ समय पूर्व भारत रक्षा नियमों में संशोधन किया गया था । विदेशी विनिमय विनियम अधिनियम, 1947, की कुछ स्पष्ट त्रुटियों को दूर करने के लिये एक विधेयक इस समय संसद के सम्मुख विचाराधीन है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

1849. { **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० ला० वर्मा :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ श्रेणियों के, दोनों ही नियमित तथा प्रभारित, कर्मचारियों को जिनमें पेंटर और मिस्त्री शामिल हैं 18 साल की नौकरी करने के बाद भी स्थायी नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन में से कुछ कर्मचारी 18 साल की नौकरी पूरी होने के बाद सेवा निवृत्त किये गये हैं और उन्हें पेंशन और उपदान लाभ नहीं दिए गए ार

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (घ) सूचना